

## OTT CONTENT TO BE CENSORED!

*The recent controversy brewing against the web series Tandav produced by Amazon Prime has triggered a huge round of outcry which has led to the demand for OTT content to be censored.*

Information and Broadcasting Union Minister Prakash Javadekar made a major announcement that the Ministry will soon release guidelines for OTT platforms.

"We have received a lot of complaints against some serials available on OTT platforms. Films and series released on OTT platforms and digital newspapers do not come under the purview of the Press Council Act, Cable Television Networks (Regulation) Act, or Censor Board. We will soon come up with some guidelines for the OTT platforms," said Prakash Javadekar

The I&B ministry had received a number of complaints against Tandav for its depiction of Hindu Gods in the show. Three FIRs have been registered against the makers of the series in three different cities, these include Lucknow, Mumbai and Greater Noida. The show, a political drama, has been drawing flak on social media and is accused of hurting religious sentiments.

Several programmes have come under criticism with



PRAKASH JAVADEKAR



## सेंसर किया जायेगा ओटीटी सामग्री

हालही में अमेजन प्राइम द्वारा निर्मित वेब सीरिज तांडव के खिलाफ चल रहे विवाद ने यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर आक्रोश का दौर शुरू हो गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सेंसरीप का पालन करना चाहिए।

सूचना व प्रसारण के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बड़ी घोषणा की कि मंत्रालय जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा।

श्री जावड़ेकर ने बताया कि 'हमें ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कुछ धारावाहिकों के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचारपत्रों पर जारी फिल्में और श्रृंखलायें प्रेस परिषद अधिनियम, केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम या सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आती हैं। हम जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए कुछ दिशा-निर्देश लेकर आयेंगे।'

आईएंडबी मंत्रालय को शो में हिंदू देवी देवताओं के चित्रण के लिए तांडव के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। श्रृंखला के निर्माताओं के खिलाफ तीन अलग-अलग शहरों में तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी है, इनमें लग्नऊ, ग्रेटर नोयडा व मुंबई शामिल हैं। यह शो एक राजनीतिक घटना है जो सोशल मीडिया पर फ्लाक बना रहा है और इस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है।

कई अन्य कार्यक्रम भी आलोचनाओं के घेरे में आ गये हैं जिसमें दावा किया गया है कि कार्यक्रमों के कारण उनकी भावनायें आहत हुई

a section claiming that their sentiments were hurt due to the programmes. FIRs were recently registered in several states against the makers and actors of Saif Ali Khan-starrer Tandav.

Earlier, a kissing scene in a temple premise in 'A Suitable Boy' also triggered a controversy. Last November, the government had brought online content -- news on digital platforms as well as audio-visual programmes on OTT platforms like Netflix.

The print media is monitored by the Press Council of India, there is no regulatory body by the government or the industry to regulate online content. The News Broadcasters Association (NBA) monitors news channels while the Advertising Standards Council of India looks after advertisements and the Central Board of Film Certification (CBFC) looks into films.

In 2019, Javadekar had said that there should be some kind of regulation for over-the-top platforms like there is for the print, electronic media and films. ■

हैं। सैफ अली खान स्टारर तांडव के निर्माताओं और अभिनेताओं के खिलाफ हालही में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गयी थी।

इससे पहले 'ए सुटेबल बॉय' में मंदिर परिसर में चुंबन दृश्य पर भी विवाद शुरू हो गया था। पिछले नवंबर में सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म के साथ-साथ नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी प्लेटफार्मों पर ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों पर आनलाइन सामग्री -न्यूज पर नजर रखनी शुरू की थी।

जहां प्रिंट मीडिया की निगरानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए सरकार या उद्योग द्वारा कोई नियामक संस्था नहीं है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) समाचार चैनलों की निगरानी करता है जबकि विज्ञापन मानक परिषद विज्ञापनों की देखरेख करती है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीवीएफसी) फिल्मों की देखरेख करता है।

2019 में जावड़ेकर ने कहा था कि 'ओवर-द-टॉप' प्लेटफॉर्मों के लिए किसी तरह का विनियमन होना चाहिए, जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व फिल्मों के लिए है। ■

## INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

... You Know



What You Are Doing  
But Nobody Else Does

### ADVERTISE NOW !



- ❖ In-depth & Unbiased Market Information
- ❖ Technology Breakthroughs
- ❖ Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: [scat.sales@nm-india.com](mailto:scat.sales@nm-india.com)